

I/60943/2021

आवेदन का प्रारूप

सेवा में ,

श्री मान् मंडल रेल प्रबंधक (स्थापना),

रतलाम

**विषय-** मु.लोको निरीक्षक (सीपीसीआर/सीटीएलसी/सीटीसीसी/ सीसीसी)के आवधिक पदों पर कार्य करने हेतु आवेदन ।**संदर्भ-** आपका पत्र संख्या- ई/एल/839/3/23 भाग-12 (e/Office File No.31888) दिनांक -07.01.2020.

-----

महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा अधिसूचित किये गये टेन्चोर पदों पर कार्य करने का इच्छुक हूँ तथा मैं  
 .....आवधिक पद..... पर कार्य करने हेतु अपना आवेदन/ विकल्प दे रहा हूँ ।

नाम	
पिता का नाम	
पदनाम	
स्टेशन /अधिन	
वेतनमान रु.	
शैक्षणिक योग्यता	
तकनिकी योग्यता	
अजा./अजजा. अथवा नहीं	
पूर्व में टेन्चोर पद पर कार्य किया हो तो उसका विवरण / अवधि दर्शाये	

प्रार्थी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

अधिन.....

मेरे द्वारा उपरोक्त दर्शाया गया विवरण चैक कर लिया गया है जो कार्यालय रेकार्ड के अनुसार सही है , यदि इसमे त्रुटि पाई जाती है तो इसकी समस्त जवाबदारी मेरी होगी ।

युनिट प्रभारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

I/60943/2021

पश्चिम- रेलवे

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम  
दिनांक -07.01.2020.

संख्या- ई/एल/839/3/23 भाग-12 (e/Office File No.31888)

अधिसूचना

प्रति,

सीटीसीसी- रतलाम, उज्जैन , इन्दौर, डा.अम्बेडकर नगर  
सीसीसी-चित्तौडगढ़ , सीटीएलसी- सीपीसीआर- रतलाम

**विषय-** मु.लोको निरीक्षक (सीपीसीआर/सीटीएलसी/सीटीसीसी/ सीसीसी ) के आवधिक पदों पर कार्य करने हेतु स्क्रीनिंग करने बाबत-यांत्रिक (रनिंग) विभाग- रतलाम मंडल ।

**संदर्भ-** 1.रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या- ई(पीएण्डए)II-83/ आरएस-10 दिनांक 09.01.89 ,21.09.89 एवं पत्र संख्या- ई(पीएण्डए)II-07/ आरएस-14 दिनांक 25.03.09. एवं 2001/एम,(एल)467/2 दिनांक 12.11.12 व ई(पीएण्डए)II-2009/ आरएस-17 दिनांक 03.07.2019 (आरबीई नं. 108/2019).

1. रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक **03.07.2019** में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित टेन्योर पदों को रनिंग विभाग के मु.लोको निरीक्षक में कार्यरत कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन /विकल्प के आधार पर स्क्रीनिंग के द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है ।

क्रम सं.	पदनाम	रिक्ति
1	मु.लोको निरीक्षक (सीटीएलसी)	01
योग	----	01

2. पैरा-1 के पदों पर स्थापित हेने वाले रनिंग सुपरवाइजर का सामान्य टेन्योर 03 वर्ष रहेगा , परन्तु परफारमेन्स को देखते हुये कमी भी की जा सकती है , एक बार पदों पर विस्थापित होने पर पुनः रनिंग सुपरवाइजर पदों पर कार्य करना होगा । इन पदों पर स्थापित होने वाले रनिंग सुपरवाइजरों के लिये स्थापना / तकनीकी एवं परिचालन संरक्षा हेतु निर्धारित निर्देश बतौर मु.लोको निरीक्षक के रूप में ही लागू होंगे । इनका धारणाधिकार एवं वरियता भी रनिंग सुपरवाइजर के केडर में ही रहेगी एवं समय समय पर रनिंग सुपरवाइजर कर्मचारियों हेतु निर्धारित आवश्यक प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । इन पदों पर स्थापित कर्मचारियों को रनिंग भत्ता बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्र में दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा ।
3. जिन कर्मचारियों ने पूर्व में इन पदों पर कार्य किया है एवं उनकी कूलिंग अवधि पूर्ण नहीं है , उन्हें अवधि पूर्ण होने तक इन पदों पर कार्य करने की पात्रता नहीं है। कृपया ऐसे कर्मचारी उक्त पद के लिये आवेदन नहीं करें । महाप्रबंधक (स्था.) चर्चगेट के पत्र संख्या- ईएम/834///एवीसी भाग-4 दिनांक -27.07.09 के अनुसार रनिंग संवर्ग में स्थाई रूप से कार्यरत चालक ए-3 चिकित्सा कोटि में चिकित्सा विकोटीकृत होते हैं , तो उन्हें इन पदों पर लगाये जाने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में यदि पद रिक्त नहीं है तो इन पदों पर कार्यरत स्थाई चालकों में से कनिष्ठतम कर्मचारी को हटाया जायेगा ।

I/60943/2021

**नोट-** सभी लाबी का नियंत्रण कम्प्युटर द्वारा किया जा चुका है और वहां पर सीएमएस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है , जो कर्मचारी स्वतंत्र रूप से पीसी पर कार्य करने के योग्य है, वे कर्मचारी ही इन पदों के लिये आवेदन करें । सम्बन्धित सभी प्रभारी अधिसूचना की एक प्रति सूचना पट्ट पर लगाये एवं इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी कर्मचारी आवेदन करने से वंचित न रह जाये । इस कार्यालय में कर्मचारियों के आवेदनो को एक बंच मे भेजे जायें । सभी प्रभारीगण कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन एक बंच में ही इस कार्यालय को अग्रेषित करे ।कर्मचारी अपने आवेदन में टेन्योर पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें , जिस पद पर वह कार्य करने का इच्छुक है। सर्व संबंधित प्रभारीगण कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों को एक बंच में दिनांक 21.01.2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में भेजें । इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी ।

स्क्रीनिंग में उपयुक्त होने के पश्चात जिस आवधिक पद हेतु कर्मचारी उपयुक्त हुए है , कर्मचारी को उस पर कार्य करना अनिवार्य है , इसके पश्चात कर्मचारी स्क्रीनिंग में उपयुक्त हुए पद पर कार्य करने में अनिच्छा व्यक्त करते है , तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**संलग्न - आवेदन का प्रारूप ।**

Signed by AMAR SINGH

(ए.एस.सागर)

SAGAR

सहा.कार्मिक अधिकारी -II

Date: 07-01-2021 17:43:23

Reason: Approved

**प्रतिलिपी-** व.मं.वि.प्र./व.मं.वि.इंजी(कप)/ सहा.मं .वि.इंजी. (कप)-रतलाम

वरि.मं.यां.इंजी. (c&w) /मं.यां.इंजी./सहा.यां.इंजी- रतलाम, चित्तौडगढ , डा.अम्बेडकर नगर

मु.का.अधि.- टी.आर.ओं. /यांत्रिक/गोपनीय , डीटीसीसी-रतलाम ।

मंडल मंत्री- वे.रे.म.संघ /वे.रे.ए.युनियन ,सचिव- अजा.अजजा.एसों./ओबीसी- एसो- रतलाम ।